न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- राजेश जोशी, आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 67/दावा/2015

1. गोपाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री कन्हैयालाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला बून्दी. (राज.)

वादी –

– बनाम –

1. मुकेश आत्मज श्री देवप्रकाश आयु 30 वर्ष जाति ब्राह्मण दाधीच निवासी ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला (राज.)

प्रतिवादी –

वाद : बेदखली भूमि अन्तर्गत धारा 183 आर.टि.एक्ट

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्य.प्र.सं.

उपस्थित :- 1. वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र नारायणीवाल, अधिवक्ता

2. प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दिनांक 28.02.2018

1. वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है :-

वादी ने एक वाद दिनांक 18.09.2015 को पेश किया। कृषि भूमि ख.सं. 793/335 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है उक्त नक्शा ट्रेस में लाल रंग सं प्रदर्शित वादी के खाते एवं कब्जे की उक्त भूमि के 4 बिस्वा भूमि के भाग पर प्रतिवादी ने अभी माह फरवरी सन् 2015 में जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। वादी, प्रतिवादी से उसी समय माह फरवरी 2015 से ही कहता आ रहा है कि प्रतिवादी वादी की उक्त 4 बिस्वा भूमि को रिक्त कर दे। लेकिन वादी ने इंकार कर दिया है तथा निमार्ण कार्य करवाने को तत्पर है। यही वादोत्पत्ति का कारण है और अन्त में प्रार्थना कि प्रतिवादी को 4 बिस्वा भूमि पर से बेदखल किया जाकर रिक्त भूमि पर कब्जा वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे और न ही अन्यों से करावे तथा वाद प्रस्तुती तिथि से कब्जा प्राप्त किए जाने तक की अवधि में 5000/-रू0 सालाना पेनेल्टी वादी को प्रतिवादी से दिलाये जावे।

Scanned by CamScanner

वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 14.12.2016 को अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य में गोपाल का शपथ पत्र पेश किया गया तथा निम्न दस्तावेज पेश किये गये जिनमे जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 ग्राम कैथुदा प्रदर्श– 1, नक्शा ट्रेस परिशिष्ठ अ फोटोप्रति है।

4. वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादी को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने वादी वकील की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में तथा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में कही भी यह उल्लेख नही किया है कि प्रतिवादी कब्जा शुदा भूमि पर कृषि कार्य कर रहा है या किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर रहा है तथा प्रतिवादी किस प्रकार भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त तथ्य वादी ने न्यायालय के सामने स्पष्ट नही किये है। जमाबन्दी प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह जाहिर है कि विवादित भूमि बारानी भूमि है जिस पर कृषि कार्य हो रहा है या नही इस संबध में वादी के द्वारा खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी ने किस रूप में विवादित भूमि पर कब्जा कर रखा है। न्यायालय के सामने स्पष्ट नही किये गये है तथा जहा तक वादी के द्वारा 5000/–रू0 सालाना नुकसानी दिलाये जाने का प्रश्न है तो यह विचारण न्यायालय के क्षैत्राधिकार नही है तथा सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है इसलिए उक्त अनुतोष प्राप्त करने का वादी अधिकारी नही है। अतः वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष विधि अनुरूप साबित नही किये जाने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

निर्णय

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र वास्ते किये जाने बेदखल प्रतिवादीगण कृषि भूमि ख.सं. 793/335 रकबा 10 बीघा वाके ग्राम कैथुदा तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28–02–2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28.2.18

(राजेश जोशी)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner